



क्रम संख्या :-F 7(4)ACAD/CCE/2020/942

दिनांक :30.05.2020

समस्त प्राचार्य

राजकीय एवं निजी महाविद्यालय,

राजस्थान।

विषय : सत्र 2019-20 के ग्रीष्मावकाश में आंशिक संतोषन बायत।

सहेल्य,

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा जयपुर द्वारा पूर्व में जारी आदेश क्रमांक एफ 7 (4) अकाद /आकाशि/2020/929-932 दिनांक 12.4.2020 के क्रम में राज्य के समस्त राजकीय एवं निजी महाविद्यालयों में ग्रीष्मावकाश की अवधि को 15 जून 2020 तक बढ़ाया जाता है। इस हेतु सक्षम स्तर से अनुमति ले ली गयी है।

प्रदीप वोरड,IAS

आयुक्त

कॉलेज शिक्षा राजस्थान,जयपुर

क्रम संख्या :-F 7(4)ACAD/CCE/2020/943-945.

दिनांक :30.05.2020

प्रतिलिपि:-

1. निजी सचिव,माननीय राज्य मंत्री उच्च शिक्षा राजस्थान सरकार जयपुर।
2. निजी सचिव,शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग,जयपुर।
3. निजी सचिव,आयुक्त कॉलेज शिक्षा विभाग, जयपुर।
4. वेब प्रभारी, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा की वेबसाईट पर उपलोड करने हेतु।